2022/124

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 23/2022 तारीख दायर 24.2.2022

बीना देवी पत्नि सुनिल कुमार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम्

1. ननालाल पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. छीतरलाल पिता भूरा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. मन्ना पिता बालु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 29.3.2022

प्रार्थना पत्र बीना देवी धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड **एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम चान्दजी की खेडी पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 1110/47, 82 किता 2 रकबा 0.5747 हे0 भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चान्दजी की खेडी पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 220 पर अंकित आराजी संख्या 1110/47, 82 किता 2 रकबा 0.5747 हे0 भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ